डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 11/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ जीआईएएल/मोपा-गोवा/सीपी-I/2023-24

परामर्श पत्र संख्या 11/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (जीओएक्स) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 31 अगस्त, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) ने मोपा, गोवा में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए बोली जीत ली और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल) नामक विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिए 08 नवम्बर, 2016 को मोपा, गोवा में रियायत करार (सीए) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रियायत करार के अनुसार जीआईएएल, मोपा, गोवा डीबीएफओटी (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण) मॉडल के तहत प्रारंभ में करार होने की तारीख (4 सितम्बर, 2017) से 40 वर्ष की अवधि के लिए हवाईअड्डे का निर्माण करेगी, जिसे रियायतग्राही के लिए उपलब्ध मना करने के प्रथम अधिकार के साथ अगले 20 वर्ष (बोली प्रक्रिया के आधार पर) तक बढ़ाया जा सकता है।

मोपा, गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे को ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख हवाईअड्डे की श्रेणी में रखा गया है, जिसे गोवा सरकार और जीआईएएल, मोपा, गोवा के बीच निष्पादित रियायत करार के खंड 12.2.1 (देखें संलग्नक -I) के अंतर्गत यथा निर्धारित 3.5 मिलियन से अधिक यात्री प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता से प्रचालित करने के लिए तैयार किया गया है।

मोपा, गोवा में स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का उद्घाटन 11 दिसम्बर, 2022 को किया गया था और प्रचालन 05 जनवरी, 2023 (सीओडी) से प्रारंभ किए गए। मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (आईएटीए ; जीओएक्स) में प्रचालन प्रारंभ होने के साथ ही इस राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे हो गए हैं।

चूंकि प्रचालन वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में प्रारंभ किए गए हैं इसलिए पांच (05) वर्ष की पूर्ण विनियामक अवधि मानने के लिए प्राधिकरण सीओडी (05 जनवरी, 2023) से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के परिणामों को ध्यान में रखने के साथ ही हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028 मानने का प्रस्ताव करता है।

विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए जीआईएएल, मोपा, गोवा ने 07 दिसम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि और प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित तरीके से एमवाईटीपी प्रस्तुत कर दिया है:

- 07 दिसम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक टैरिफ का निर्धारण
- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक की प्रथम नियंत्रण अवधि (एफसीपी) के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने जीआईएएल, मोपा, गोवा द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लेखा परीक्षित आकंड़ों को स्वीकार कर लिया है।

प्राधिकरण ने वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों और हवाईअड्डा प्रचालकों, हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ एजेंसी और प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता के मत का विश्लेषण करने के बाद यातायात एवं अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजनों की समीक्षा की है। परंतु हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के संबंध में जीआईएएल, मोपा, गोवा द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में निर्धारित विभिन्न आकलनों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2023 के परामर्श पत्र संख्या 11/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta@aera.gov.in., secretary@aera.gov.in,

हितधारक परामर्श बैठक :	15 सितम्बर, 2023
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	29 सितम्बर, 2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	09 अक्तूबर, 2023

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

13 *हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 3 : सीओडी (05 जनवरी) से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण

3.3.1 तालिका 8 के अनुसार यातायात को मानना।

3.3.2 तालिका 12 के अनुसार आरएबी और मूल्यह्रास को मानना।

3.3.3 पैरा 3.2.17 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.3.4 तालिका 13 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.3.5 तालिका 14 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

3.3.6 तालिका 15 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

3.3.7 तालिका 17 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

3.3.8 तलिका 18 के अनुसार रूपए 179.75 करोड़ की कम वसूली को मानना और उसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में समायोजित करना ।

3.3.9 पहले चरण की कुल पूर्ण की गई लागत और अगली नियंत्रण अवधि में जीआईएएल द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के आधार पर वर्ष के आरएबी और मूल्यह्रास के परिवर्धनों को टूअप करना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.3.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा मोपा, गोवा के लिए तालिका 31 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

4.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को मानना।

अध्याय 5: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

5.7.1 पैरा 5.4.6 में उल्लेख किए अनुसार परिसंपत्तियों के वैमानिक और आईएमजी मानदंडों तथा अन्य समान प्रकार के हवाईअड्डों के लिए यथानुमोदित मानदंडों के अनुरूप 90:10 के टर्मिनल भवन अनुपात (टीबीएलआर) को मानना।

5.7.2 तालिका 61, पैरा 5.3.18 और 5.3.19 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते की अनुमति देना।

5.7.3 तालिका 64 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को अंगीकार करना।

5.7.4 तालिका 68 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को अंगीकार करना।

5.7.5 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा 5.3.27 और पैरा 5.3.29 में बताया गया है)।

5.7.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.35 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से पूंजीकृत न की गई परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.7.7 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

5.7.8 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 72 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.7.9 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

5.7.10 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए तालिका 74 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.7.11 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 6 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

6.3.2 अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48% : 52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के कल्पित ऋण को मानना।

6.3.3 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

6.3.4 ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के अनुपात के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 7 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.3.1 तालिका 79 के अनुसार मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.3.1 तालिका 104 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.3.2 जीआईएएल, मोपा गोवा के संबंध में अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

9.3.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

9.3.2 जीआईएएल, मोपा, गोवा, को समान/हवाईअड्डों के अनुरूप प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के एनएआर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अध्याय 10 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.3.1 तालिका 118 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करके वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 11: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 जीआईएएल, मोपा, गोवा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में सेवा की गुणवत्ता पूरी नियंत्रण अवधि में रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

11.3.2 इन मानकों को पूरा करने के अतिरिक्त जीआईएएल, मोपा, गोवा से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित डेबोलिम हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता को पूरा करे और बनाए भी रखें।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

12.3.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए तालिका 121 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

12.3.2 जीआईएएल, मोपा, गोवा को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के सात (7) दिन के भीतर प्रस्तुत करें, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 29 सितम्बर, 2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)